विषय :—सरकारी कर्मचारियों का निलम्बन ।

क्या सभी वित्तायुक्त तथा सभी प्रशासकीय सचिव, हरियाणा संयुक्त पंजाब के पत्र क्रमांक 1215-बी (12)-63/3915, दिनांक 28 मार्च/1 अप्रैल, 1963 में दी गई सरकारी कर्मचारियों को निलम्बन सम्बन्धी अनुसरण की जाने वाली नीति की ओर ध्यान देने की कृपा करेंगे ?

2. यह देखने में आया है कि विभिन्न विभागों द्वारा इन अनुदेशों को समान रूप में लागू नहीं किया जाता है और ऐसे दृष्टान्त नोटिस में आए हैं कि इस प्रकार के समान परिस्थिति के केसों में बिल्कुल भिन्न निर्णय लिए गए थे । इस महत्वपूर्ण मामले में सरकार की ओर अनुदेशों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए यह भी निर्णय किया गया है कि भविष्य में श्रेणी–I के अधिकारियों को मुख्य सचिव, हरियाणा (सामान्य सेवायें शाखा) के माध्यम द्वारा मुख्य मंत्री की पूर्व अनुमति के बिना निलम्बित न किया जाए।

3. जहाँ तक श्रेणी-2 के अधिकारियों के निलम्बन का सम्बन्ध है उनके केस में मुख्य मंत्री को केवल सूचनार्थ भेजा जाये और इस कार्य के लिए उनकी मूल फाईल निलम्बन आदेश जारी करने के बाद सीधी मुख्य मंत्री को मुख्य सचिव, हरियाणा (सामान्य सेवायें शाखा) के माध्यम द्वारा भेजी जाये ।

कृपया अब आगे से ऐसे सभी केसों में इस कार्य विधि का अनुसरण किया जाये ।

इस पत्र की पावती भेजने की कृपया करें ।

हस्ता/-
उप सचिव, राजनैतिक एवं सेवायें,
कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

सेवा में,

1. सभी वित्तायुक्त, तथा
2. सभी प्रशासकीय सचिव हरियाणा ।

अशा: क्रमांक 7084-6 जी: एस:-70, दिनांक 17-9-1970